

## निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

लम्हाक : एफ 4 (120) निकाशि / अनु/ 06-07 / ८५४

दिनांक:- ११.१.१५


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुगोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।-

पत्रांसे.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
१२०	वी.आर. मेमोरियल महिला महाविद्यालय, दुर्जनियावास चापा कालपाड़, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्ण संचालित विषय/ संकाय

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त छरेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बो०सी०आई० से मन्यता प्रदान विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/ विषयवाल सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को संबंधित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुस्तर तथा संचया सीधा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि क्षेत्रस्वरूप उपरस्य करत्याका जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन वा निर्माण संबंधित संसाधन सामान्य निकाम/ नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानविकों के अनुकूल किया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में एम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा।
- संस्करण द्वारा दूजीसी शोन्यतावारी प्राप्त होने वाले व्याघ्रात् तथा अन्य ऊर्ध्वाधिक रूपों का नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का वायित्व संस्था कर रहेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के लम में याना करायी गई सुरक्षा शासि वगे प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण करवाया जाना अनियाय होगा।
- संस्करण निदेशालय से सांखिकी प्रूफेन्स ब्रैडवर्ड प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करवेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इन विभाग की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- संस्करण द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोडरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहायिता के विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं भोवाइल नम्बर सहित ३१ दिसंबर, २०१३ तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा याद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।


उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण एवं को निरस्त किया जा सकेगा।



कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित यों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है—

- निजी संचिव, माठ चच्च शिक्षा मंत्री महाविद्या, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल संचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांखिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्राधती।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें)  
  
 वी.आर. मेमोरियल विश्वविद्यालय सभिता  
 दुर्जनियावास पाया जातपाड़ जोटपाड़ जकुन-३०३०८